न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/330

1. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री लादूराम, जाति मीना निवासी टोडाभाटा, तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. मूलसिंह उर्फ मूलचन्द पुत्र स्व. नारायण सिह,
2. श्रवण सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह,
3. सुरेश सिंह (मृतक) पुत्र स्व. नारायण सिंह,
   3/1. विनोद सिह पुत्र स्व. सुरेश सिह,
   3/2. विजय सिह पुत्र स्व. सुरेश सिंह,
4. धर्मसिंह पत्र स्व. नारायण सिंह,
5. सूरज पत्नी स्व. नारायणसिंह, समस्त जाति राव निवासी ग्राम टोडाभाटा, तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री बनवारी लाल शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री प्रदीप कुमार शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 22.08.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक बिन्दू के समझे बिना कतई गलत, मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है क्योंकि दिनांक 04.10.2021 तक पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण हेतु नियत थी लेकिन दिनांक 28.10.2021 को न तो अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदत्त किया और ना ही जवाब देही का अवसर दिया। इसलिये अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नही होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य मिथ्या एवं कपोल कल्पित अंकित करते हुये पत्थरगढ़ी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जबकि वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 04.07.2020 से पूर्व न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 09.06.2020 को वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी द्वारा दिनांक 09.06.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुये अस्थाई निषेधा से पाबंद कर रखा है, उक्त वाद में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.02.2021 को जवाब काउन्टर क्लेम मय प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुय निवेदन किया था कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 0.7208 हैक्टयर ग्राम टोडाभाटा में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्थिति है जो राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट के नाम दर्ज व अंकित है तथा खसरा नम्बर 52 रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज व अंकित है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के हाल खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 463/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 463/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 460/2 रकबा 2 बिस्वा से बने है जो वाद विचाराधीन है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबुझकर उक्त तथ्यों छुपाया गया जबकि स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष वाद संख्या 39/2020 बउनवानी मूलसिंह बनाम मीरा प्रस्तुत किया था उक्त वाद में ही अपीलान्ट द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिसकी सम्यक् जानकारी रेस्पोडेन्ट को बखुबी थी लेकिन रेस्पोडेन्ट ने उक्त तथ्यों को छीपाकर राजस्व कैम्प मे एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो कानूनन गलत है एवं निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया है कि अपीलार्थीया द्वारा अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नही बताई गयी है, अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये ही पारित किया है जिन तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह तथ्य राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है, रेस्पोडेन्ट ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 52 के सीमाज्ञान हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार फीस जमा कराई है जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेने के उपरान्त तहसीलदार ने मौके पर सीमाज्ञान कराने के आदेश दिये जिस पर सीमाज्ञान करने के पूर्व आस–पड़ौस के खातेदारों को सूचित किया है तथा मौके पर मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2020 को तैयार की गई जिस पर अपीलार्थीया के पति ने हस्ताक्षर भी किये है, सीमाज्ञान के समय अपीलार्थीया व उसका पति व पड़ौसी काश्तकार उपस्थित थे, सीमाज्ञान की रिपोर्ट से साफ प्रकट होता है कि सीमाज्ञान के उपरान्त रेस्पोडेन्ट ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई हेतु अपीलार्थीया को विधिवत नोटिस दिया गया था तथा नोटिस की तामीज होने पर अपीलार्थीया की ओर से दिनांक 18.08.2020 को उनके अधिवक्ता उपस्थित हुऐ है तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय से समय लिया था एवं अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.08.2020 के बाद 16 पेशियॉ जवाब पेश करने हेतु दिया है जो पर्याप्त समय है किन्तु अपीलार्थीया द्वारा इतने अवसर लेने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया तब दिनांक 28.10.2021 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीया व गौरा ने आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, बदरीसिंह, जगदीश सिंह, नाथूसिंह, मदनसिंह आदि से दिनांक 03.08.1978 को वर्तमान जमाबन्दी व वर्तमान नक्शा से संतुष्ट होकर खरीदी की थी जिसे अब गलत बताते हुये

P.T.O.

जरिये काउन्टर क्लेम दुरूस्त कराने की चेष्टा कर रही है जो किसी कायदा कानून है क्योंकि अपीलार्थी के हकपूर्वाधिकारियों ने एकीकरण की कार्यवाही को कभी चुनौती नही दी थी इसलिये अपीलार्थीया को अब एकीकरण की कार्यवाही को चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार नही है क्योंकि एकीकरण कार्यवाही समाप्त हो जाने के उपरान्त कन्सोलीडेशन एक्ट के अर्न्तगत कोई भी पक्षकार उन कार्यवाहियों को रेवन्यू या सिविल कोर्ट में वाद के माध्यम से चुनौती नही दे सकता और ना ही कोई न्यायालय उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सुनवाई कर सकता इसलिये प्रार्थिया को काउन्टर क्लेम के माध्यम से नक्शा दुरूस्ती कराने का कोई अधिकार ही नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 52 के खातेदार रेस्पोडेन्ट है जिससे अपीलार्थीया का कोई लेना–देना नही है, रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 52 के सीमाचिन्ह कायम करने के अधिकारी है इसलिये प्रथम दृष्टया केस अपीलार्थीया के पक्ष में ना होकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में ही है इसलिये अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यदपि अपीलार्थी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है किन्तु प्रथमतया तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 28.10.2021 तक प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु ही नियत रही है तथा उक्त पत्रावली प्रशासन गांवो के संग में नियत करने सम्बन्धी सूचना अपीलार्थीया या अपीलार्थीया के अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया है या नही स्पष्ट नही है और दिनांक 28.10.2021 को अपीलार्थीया की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश किया गया है जिससे अपीलार्थीया के जवाब के अभाव में प्रकरण के समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ पाये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः 3 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर